न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—207/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/207

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
चैनाराम पुत्र श्री देवाराम जाति—रेवारी, निवासी जैसावास,तहसील—बागोड़ा, जिला—जालोर।		1. भावा पुत्र श्री हाजा जाति कलबी, निवासी जैसावास, तहसील—बागोड़ा, जिला—जालोर। 2. पूनमाराम पुत्र श्री देवाराम जाति—रेबारी, निवासी— जैसावास, तहसील—बागोड़ा, जिला—जालोर। 3.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर। 4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक भीनमाल।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2023 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2021 अनवान भावा बनाम चौनाराम वगैरा में श्री उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा

उपस्थिति :—
1. श्री लाधुराम पूनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री घनश्यामसिह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 19.12.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के प्रकरण सं. 19/2021 निर्णय दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

19.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा का अपीलाधीन आदेश विधि न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

जब विवादित भुमि के रिसेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा किये गये अवैध बंटवाड़े को निरस्त करने पूर्व के राजस्व अंकन को बहाल करके भुमि विभाजन करने का वाद लंबित है तब पत्थर बंदी आदि के कार्यवाही वाद के दौरान नहीं की जा सकती है तथा खातेदारान की हिस्से की सीमांए विभाजन के बाद में ही की जा सकती है। अपीलार्थी ने उक्त ऐतराज विद्धवान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाया था जिसको तय नहीं किया तथा उसकी अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्ता योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाये एवं मामले में सीमाज्ञान की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र को बिना कोई मौका जांच, साक्ष्य सबूत के स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है तथा अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत का कोई मौका नहीं दिया। इसकारण अपीलाधीन आदेश एवं सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा का अपीलाधीन आदेश धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की पालना किये बिना पारित किया गया होने से गैरकानूनी है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा के समक्ष झुठे तथ्य बताकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थनापत्र के तथ्यो का मौका जांच करवाये बिना एवं मौके की पैमाईस रिपोर्ट मंगवाये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश धारा 128, 111 के अनिवार्य प्रावधानो के विरूद्ध होने से शुन्य है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 स्पष्ट रूप से विधिविरूद्ध, विधि, न्याय, कानून, अभिलेख के एवं सुस्पष्ट प्रावधानो के विरुद्ध तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जो मनमाना होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। मामले के संक्षिप्त तथ्य आगे के पदों में दिया जा रहा है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ख0न0 266/711 रकबा 2.31 हैक्टर के लिये नेखमबंदी करवाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का विद्वान उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा के समक्ष प्रस्तुत करके कथन किया कि प्रार्थी के उपरोक्त खेत उतरी–पूर्वी दिशा में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का खसरा नम्बर 266/710 रकबा 2.27 हैक्टर स्थित है उक्त खेतो के बीच माठ व सीमा को लेकर विवाद रहता है। इसलिये उक्त खसरा की भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी तहसीलदार बागोड़ा से करवाई जावे।

अपीलार्थी/ विप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इन्कार करते हुए जवाब प्रस्तुतकर निवेदन किया की प्रार्थी ने पैमाईस के लिए तहसीलदार के यहां कोई आवेदन कर के शुल्क जमा नहीं करवाया है इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा प्रार्थी भुमि का अजनबी खातेदार है जबकी मूल खातेदारन के बीच भुमि विभाजन का दावा आज भी लंबित चल रहा है इसलिए उक्त दावे के निर्णय एवं भुमि विभाजन के बाद ही विभाजन की डिकी के अनुसार ही सीमा तय की जायेगी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे खातेदारन के गलत इन्द्राज चल रहे हे जिसके आधार पर पत्थर बंदी दावे के निर्णय से पहले नहीं की जा सकती है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी के उपरोक्त जबाब के पश्चात मामले में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की अपीलार्थी को उसके पक्ष में समर्थन में साक्ष्य का कोई मौका नही दिया तथा धारा 111, 128 के प्रावधानो अनुसार तहसीलदार से पैमाईस रिपोर्ट भी तलब नही की तथा विधि के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए तहसीलदार बागोड़ा को सीमांकन करके नेखमबंदी किये जाने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया.।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त व रद्द किये जाने का आदेश फरमायें तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

सरहद मोजा जैसावास तहसील बागोडा में वर्तमान आराजी खसरा नंवर 268/711 रकवा 231 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्राथी के नाम दर्ज है। अप्राथी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 266/711 के उत्तरी–पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या 1 व रेस्पो.स. 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 286/710 रकबा 2. 27 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजीयान के बीच में माठ व सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है. क्योंकि प्रार्थी बदमाश व सिरजोर व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में सीमा का विवाद होने से प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कलह, क्लेश व लडाई–झगड़ा होने का खतरा बना रहता है,

10.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जिसको लेकर अप्रार्थी ने प्रार्थी संख्या 1 व रेस्पो. स. 2 से इस संबंध में आपसी सहमति से सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया तो प्रार्थी ने इंकार कर दिया एवं उल्टा अप्रार्थी की आराजी की माठ को नुकसान कारित करने की धमकी दी। अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 266/711 के उत्तरी–पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या 1 व रेस्पो. स. 2 की आराजी स्थित होने से प्रार्थी अप्रार्थी की आराजी की माठ को नुकसान पहुंचाते रहते है तथा अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में रहते है इसलिए मौके पर हमेशा तनाव बना रहता है तथा कई बार विवाद उत्पन्न होने का भी खतरा बना हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगढी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जायें।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उभयपक्षों के मध्य हमेशा विवाद रहता है, इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगढी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये। राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 260/711 राजस्व रेकर्ड रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। जिसके उत्तरी–पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या 1 व रेस्पो. स. 2 की आराजी स्थित होने आपस में माठ को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बिच विवाद बना रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार पक्षकारो को सुनकर ही जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निम्न सीमा तक संशोधित करते हुये यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

> **"प्रकरण मे उभयपक्षकारों को तहसीलदार द्वारा पूर्व सूचना जारी कर स्वयं मौके पर जाकर मुस्कील बिन्दु कायम कर मुताबिक नक्शा व मौका की नाप कर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करे जिसमें उक्त समस्त बिन्दुओ पर तथ्यात्मक स्थिति एवं बिन्दुओं के मध्य की समस्त दुरियों की नाप अंकित की जावे तथा दोनो पक्षों को इस रिपोर्ट की प्रति दी जावें एवं दोनो पक्षों को 7 दिवस का निर्धारित समय देकर अपना पक्ष रखने का अवसर देवे। एवं तद्उपरान्त मौके पर पुनः जाकर सीमा चिन्हों का निर्धारण कर पत्थर गढी की जावे तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के प्रावधानो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।"**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के प्रकरण संख्या 19/2021 दिनांक 04.07.2023 को उक्तानुसार संशोधित करते हुये यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

18.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

18.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)